हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 111

सोमवार, 28 मार्च, 2016/8 चैत्र, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 2.00 बजे (अपराह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही डॉ0 राजीव बिंदल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि हम, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने नियम 67 के अन्तर्गत समय रहते कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस विधान सभा सचिवालय को दिया था जो कि प्रदेश के वर्तमान मुख्य मन्त्री के खिलाफ Enforcement Directorate द्वारा दुबारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सारा कार्य रोक कर पहले चर्चा करवाई जाए।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा :-

> **"आज माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी और श्री महेन्द्र सिंह जी की ओर से नियम 67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है जो कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के खिलाफ ई0डी0 द्वारा की गई कार्रवाई से सम्बन्धित है।** Under Rule-70-No adjournment motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi judicial functions or any commission or Court of Enquiry appointed to enquire into or

investigated any matter, shall ordinarily be permitted to be moved. यह मामला मान्य न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 69 और 70 के तहत इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। अतः मैं इस विषय को अस्वीकार करता हूं। Your notice has been rejected by me under Rule 69 and 70."

02.15 PM

1. <u>प्रश्नोत्तरः</u>

(i) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्या 2992, 2995 से 2997 तथा 3000 से 3003 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 2993, 2994, 2998 तथा 2999 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3004 से 3032 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(अपराह्न 2.30 बजे विपक्ष ने माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराए जाने के विरोध में सदन से वॉक आउट किया।)

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1279 से 1295 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

03-00 PM

(अपराह्न 3.00 बजे विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुनः वापिस आए)

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 28 मार्च, 2016 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

03-03 PM

3. कागजात सभा पटल पर :

1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी।

2) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम,1999 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अनुसूची-1 में, मद संख्या 22 में संशोधन बारे अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ0(18)-2/2001 दिनांक 22.06.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.06.2015 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदनः</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **137वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा **श्रम एवं रोज़गार विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **138वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **मत्स्य पालन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **25वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः19 **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** के अन्तर्गत महिला विकास एवं बाल विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः21 के अन्तर्गत **सहकारिता विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का **24वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः 22 के अन्तर्गत **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

(4) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **19वां प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः27 श्रम, रोज़गार और प्रशिक्षण के अन्तर्गत **तकनीकी शिक्षा विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(5) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **17वां प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः26 के अन्तर्गत **पर्यटन एवं नागर विमानन विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(6) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति,ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः11 के अन्तर्गत **कृषि विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का **22वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः12 के अन्तर्गत **उद्यान विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

5. **<u>वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान</u>**

सदन का समय बचाने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से बजट अनुमान 2016-17 की सभी मांगे प्रस्तुत हुई समझी गई।

मांग संख्या : 10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः 27,94,29,62,000/- और 8,75,86,56,000/- रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

मांग संख्याः 10 पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल, इन्द्र सिंह, विजय अग्निहोत्री, बिक्रम सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह, डॉ0 राजीव बिन्दल, डॉ0 राजीव सैज़ल और श्री कृष्ण लाल ठाकुर की ओर से 3 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1.) श्री महेन्द्र सिंह
2.) श्री रिखी राम कौंडल
3.) श्री इन्द्र सिंह
4.) श्री विजय अग्निहोत्री
5.) श्री बिक्रम सिंह
6.) श्री जय राम ठाकुर
7.) श्री महेश्वर सिंह
8.) श्री सुरेश भारद्वाज
9.) श्री रविन्द्र सिंह
10.) डॉ0 राजीव बिन्दल
11.) डॉ0 राजीव सैज़ल
12.) श्री कृष्ण लाल ठाकुर

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अपराह्न 7.00 बजे सदन की बैठक अपराह्न 7.15 बजे तक बढ़ाई गई)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

(सदन की बैठक सांय 7.15 बजे मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)